

पत्रांक:- 465

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पूर्णियाँ।

सेवा में,

ई-मेल से

पंकज कुमार झा

डॉलर हाउस चौक, सिपाही टोला,

पूर्णियाँ।

पूर्णियाँ, दिनांक:- 17/07/2019

विषय:-डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-एकरारनामा संख्या- 58 एफ-2/2019-20 दिनांक-12.06.2019


महाशय,

विषयांकित मामले में पी०आई०यू०, पूर्णियाँ क्षेत्रान्तर्गत पूर्णियाँ जिला मुख्यालय में कार्यकारी मानक प्रयोगशाला का जीर्णोद्धार, फर्नीचर आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु आपके द्वारा एकरारनामा किया गया है। एकरारनामा सं०-58 एफ-2/2019-20 दिनांक-12.06.2019 है। इस पी०आई०यू० के विभिन्न पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा बार-बार मौखिक तौर से एवं योजना के नियमित निरीक्षण के दौरान साइट ऑर्डर बुक पर गैर समानुपातिक प्रगति के संबंध में निर्देशों का पृष्ठांकन समय-समय पर किया जाता रहा है। बावजूद इसके उक्त कार्य के भौतिक प्रगति में निर्धारित समय-सीमा का अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

अतः जीर्णोद्धार, फर्नीचर आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य की प्रगति समर्पित कार्य-योजना के समानुपातिक नहीं होने के कारण योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर प्रशासी विभाग को हस्तांतरित किए जाने तक भविष्य में होने वाली किसी भी निविदा में भाग लेने से आपके निबंधन संख्या- कार्य० अभि० श्रेणी-04-1036/2017 पथ (वैधता दिनांक-27.02.2017 से 26.02.2027) को वंचित (Debar) किया जाता है।

डिबार का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन



उप महाप्रबंधक


बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक:- 465

दिनांक:- 17/07/2019

ई-मेल से

प्रतिलिपि:-महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण)/महाप्रबंधक (उत्तर)/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित । अनुरोध है कि अवलोकनोपरांत निगम के वेबसाइट पर अपडेट करवाने के लिए IT Manager को आवश्यक निर्देश देना चाहेंगे।


17.7.19

उप महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
पूर्णियाँ।